नईदुनिया

एफएसएसएआई संबंधी शिविर 26 एवं 28 को

Dated: - 20th August 2019 (Tuesday) **E-Paper**

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की अभिहित अधिकारी रमिला भगत ने बताया है कि 26 एवं 28 अगस्त 2019 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय अंबिकापुर तथा पदेन उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन अंबिकापुर में कार्यालयीन समय पर एफएसएसएआई पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति हेतु शिविर का आयोजन किया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता को खाद्य कारोबार प्रारंभ करने से पूर्व एफएसएसएआई पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है। छोटे खाद्य कारोबारकर्ता जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख तक है, उन्हे नियमानुसार एफएसएसएआई पंजीयन लेना है,जिसका वार्षिक शुल्क 100 रुपये है। अधिकतम एक साथ 500 रुपये शुल्क भुगतान कर पांच वर्ष के लिए एफएसएसएआई पंजीयन प्राप्त किया जा सकता है। बड़े खाद्य कारोबारकर्ता जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से अधिक है, उन्हें नियमानुसार एफएसएसएआई अनुज्ञप्ति लेना है। जिसका वार्षिक शुल्क दो हजार रुपये, तीन हजार रुपये एवं पांच हजार रुपये है। अधिकतम एक साथ पांच वर्ष के लिए एफएसएसएआई अनुज्ञप्ति प्राप्त किया जा सकता है। शुल्क का भुगतान बैंक चालान के माध्यम से देय होगा।